बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संख्या–नि0को0 लखीसराय–02–16/2015– (नि0को0)/रा0, पटना–15, दिनांक–..........

श्री सिद्धनाथ, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बड़हिया, लखीसराय के विरूद्ध समाहर्त्ता, लखीसराय के पत्रांक–137/रा0, दिनांक–03.02.2015 के द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' में गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

विभागीय पत्रांक–329 (नि0को0), दिनांक–17.03.2015 द्वारा श्री सिद्धनाथ से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री सिद्धनाथ द्वारा अपना स्पष्टीकरण पत्रांक–341, दिनांक– 18.04.2015 द्वारा विभाग में समर्पित किया गया।

श्री सिद्धनाथ के विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' में अंकित सभी आरोपों एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेखित तथ्यों की विस्तृत एवं सम्यक जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17 (2) के अन्तर्गत विहित रीति से करने हेतु आरोपी श्री सिद्धनाथ के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या–787 नि0को0 दिनांक– 26.06.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

अपर समाहर्त्ता–सह–संचालन पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा अपने पत्रांक–542/रा0, दिनांक–27.04.2016 के माध्यम से श्री सिद्धनाथ, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बड़हिया, लखीसराय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के उपरान्त जाँच प्रतिवेदन/अधिगम विभाग में समर्पित किया गया। प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–661 (नि0को0) दिनांक–14.06.2016 द्वारा सिद्धनाथ से द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। श्री सिद्धनाथ द्वारा आवेदन दिनांक–25.07.2016 द्वारा अपना द्वितीय कारण पृच्छा विभाग में समर्पित किया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम में प्रमाणित आरोपो एवं आरोपी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा में अंकित तथ्यों का सम्यक विचारोपरान्त श्री सिद्धनाथ के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये गये।

प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं0–1074 (नि0को0) दिनांक–05.10.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 (I) एवं (V) के तहत **(क) निन्दन तथा (ख) असंचयात्मक प्रभाव से 5 (पाँच) वेतन वृद्धियों का रोक का** दंड अधिरोपित/संसूचित किया गया।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री सिद्धनाथ द्वारा माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के न्यायालय में सर्विस अपील सं0–14/2016–17 सिद्धनाथ बनाम प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना एवं वगैरह दायर किया गया जिसमें माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, द्वारा दिनांक–16.01.2018 को पारित आदेश द्वारा विभागीय आदेश सं0–1074 (नि0को0) दिनांक–05.10.2016 जिसके तहत श्री सिद्धनाथ के विरूद्ध **(क) निन्दन (ख) असंचयात्मक प्रभाव से 5 (पाँच) वेतन वृद्धियों पर रोक के** दंड अधिरोपित किया गया था को निरस्त करते हुए उक्त आदेश में अंकित तथ्यों तथा श्री सिद्धनाथ द्वारा पूर्व में समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा के आधार

पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के तहत आदेश पारित करने हेतु निदेशित किया गया। श्री सिद्धनाथ दिनांक–30.11.2017 को सेवानिवृत्त है।

वर्णित परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरान्त अब इस मामले में उक्त नियमावली के तहत कोई अग्रेतर कार्रवाई नियम संगत नहीं है।

अतएव विभागीय आदेश सं0–1074 (नि0को0) दिनांक–05.10.2016 को निरस्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–नि0 को0 लखीसराय–02–16/2015– (नि0को0)/रा0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :–जिला पदाधिकारी, लखीसराय/जिला पदाधिकारी, कटिहार/कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय/कोषागार पदाधिकारी कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, कटिहार से अनुरोध है कि आदेश की प्रति अपने स्तर से श्री सिद्धनाथ,(तत्कालीन अंचल अधिकारी, बड़हिया, लखीसराय) **सम्प्रति कानूनगो, सह प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कटिहार** (सेवानिवृत्त) को तामिला कराते हुए विभाग को भी सूचित करने की कृपा की जाय।

ह०/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–नि0 को0 लखीसराय–02–16/2015– (नि0को0)/रा0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव के आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–3, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–नि0 को0 लखीसराय–02–16/2015– (नि0को0)/रा0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :– श्री सिद्धनाथ, (तत्कालीन अंचल अधिकारी, बड़हिया, लखीसराय) **सम्प्रति सेवानिवृत कानूनगो– सह– प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कटिहार** को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–नि0 को0 लखीसराय–02–16/2015– 792 (नि0को0)/रा0, पटना–15, दिनांक–10/9/18

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 7/9
प्रधान सचिव।

D:\jiten\Nigrani\2018\Sankalp\Sidhnath, Barhia (Aarop mukt).docLast printed 9/7/2018 11:54:00 AM